रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2886] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 30, 2019/भाद्र 8, 1941
No. 2886] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 30, 2019/ BHADRA 8, 1941

IndiaCode

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 2019

का.आ. 3153(अ).—प्रारूप पुनः अधिसूचना भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 4777 (अ), तारीख 10 सितम्बर, 2018 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित की गई थी जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनको उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना की राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर, आपत्ति और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना की राजपत्र की प्रतियां जनता को 11 सितम्बर, 2018 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना के प्रत्युत्तर में व्यक्तियों और पणधारियों से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे;

और, शहीद चंद्रशेखर आजाद (नवाबगंज) पक्षी अभयारण्य, जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश में स्थित है और यह 2.246 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है;

और, यह अधिक संख्या में खुले पर्यावास और विभिन्न प्रकार के प्रवासी और आवासी पक्षियों के लिए जाना जाता है। पक्षियों के अलावा, अभयारण्य में विभिन्न प्रकार के वृक्ष झाड़ियों और हाईड्रोफाइट्स हैं। जीन जीवजंतु प्रजातियों का यहां वास है, उनमें मोलस्क, अरथरोपोदस, अन्नेलिदुस, उभयचर, सरीसृप और स्तनधारियों की कई प्रजातियां सम्मिलित हैं। क्षेत्र में जीवजंतु प्रजातियों में बनैला सूअर (स स्क्रोफ़ा करिस्तुस्ट), ग्राउंड श्रेव (सनकस मुरनिअस), बनबिलार (फेलिस चाउस), फिशिंग कैट (परिओनालुरूस विवेर्रनुस), लोमड़ी (वुल्प्स बेंगलेंसिस), सामान्य पीतवर्ण चमगादड़ (स्कोटोफिलुस हेथी),

नोकटुले चमगादड़ (नयकटालुस नोकटुला), श्री स्ट्रीप्ड पाम गिलहरी (फुनाम्बुलुस पल्मारूम), ब्लू बुल (बोसेलाफुस टरागोकमेलुस), सिक्लोप (सिक्लोपस स्प.), कीपरिस (कुरपसि स्प.), प्रेयिंग-मंटीस (मंटीस स्प.), ग्रात (सिमुलियम इक्यूइनुम), वाटर स्कोरपिओन (पनोर्पा कुम्मुउनिस), दुंग बीटल (मेलीओकोक्परिस स्प.), लार्ज कारपेंटर (मेगाचिले केंटुंकुलारिस), वेइनंड जय (ग्राफियम बेथकेलेस चिरोन), क्लासी बाघ (परंटीका अगलेया मेलानोइडेस), तेंदुआ (नेउरोसिओमा दोउबलेदयि दोउबलेयि), स्लग (लोमैक्स स्प.), येलो जेगेबेल (डेलीस एगोस्टिना एगोस्टिना), टाइगर ब्राउन (ओरिनोमेडामारिस), भारतीय शग (फलाक्रोकॉरैक्स फ्यूसीकोलिस), परपल हेरोन (अर्दिया पुरपुरिया), लिटिल बिटर्न (इक्सोब्रिचस मिनटस), ब्लैक इबिस (प्लेगाडिस फालसिनेलस), स्पॉटेड बिल्ड डक (अनस पाइसिलोरिनचा), यूरेशिया विजन (अबास पेनेलोप), क्रेस्टेड गोशॉक (एक्सीपीटर ट्रिविरगाटस), ब्लैक फ्रेंकोलिन (फ्रेंकोलिन फ्रेंकोलिनस), वुड स्निप (गैलिनैगो नेमोरिसोला), रिवर टर्न (स्टर्न औरंटिया), केंटिश प्लोवर (चराड्रियस अलेक्जेंड्रिनस), ग्रेटर कूकल (सेंट्रोपस साइनेंसिस), एशियन पाल्म स्विफ्ट (साइप्सीयुरस बालासीएन्सिस), ग्रीन बी-ईटर (मेरोप्स ओरिएंटलिस), हूपो (अपूपा एपोप्स), लॉन्ग टेल्ड श्रिके (लैनियस स्कैच), बार विंगड फ्लाईकैटर श्रिके (हेमिपस पिकाटस), ग्रीन मुनिया (अमंडव फॉर्मोसा), ऑलिव बैक्ड पिपिट (एंथस रूफुलिस), स्ट्राइटेड बब्बलर (टराइडोइड्स इलेली), थिक बिल्ड प्लॉवर पिकर (डिकायूम एगिले), बया विवर (प्लोसस फिलिपिनस) शामिल हैं;

और, शहीद चंद्रशेखर आजाद (नवाबगंज) पक्षी अभयारण्य में विविध प्रकार की वनस्पति प्रजातियां हैं जिनमें बबूल (अकेशिया निलोटीका), अयस्टरालिअन अकेशिया (अकशिया अयरिकुलिफोरमिस), इंडियन लबुरूम (केशिया फिस्तुला), यल्लो केशिया (केशिया सिमेयिया), फलाम बोयंट (देलोनिक्स रेगिया), मारगोस (अजादीरेकटा इंडिका), बनयम ट्री (फिकुस बेंगालेंसिस), रेड कोट्टोन ट्री (मोमबक्स केइबा), अर्जुन (टेरमिनलिया अर्जुन), विल्व (सलिक्स टट्रास्पेरमा), ताल माखाना (हायगरोफिला अयरिकुलाटर), कंटकारी (सोलानुम क्रथोकरपुम), बसेल्ला से इंडियन स्पिनाचम (बसेल्ला रूबरा), करयपटोस्टेगिया (करयप्टोस्टेगिया ग्रांदीफ्लोरा), नेप्टुनिया (मयमोसे पुदिका), पोटेंटिल्ला सिलवर वेड (पोटेंटिल्ला सुपिना), सेमा (इचिनोचलो कोलोनुम), इरागरोस्टिस (इरागरोस्टिस किल्लारिस), गंधार (वेटिवेरिया जिजनिओइदेस), दाबह (देस्मोस्लाचय बिपिन्नाटा), धामदल गरास्स (केंचरूस किलिरिस), गंधेल (इसेइलेमा लक्युम), ओरयजा (ओरयजा रूफिपोगों), वाइल्ड राइस (जिजानिया अक्यूटीका), श्यामा (पनिकुम पलुदोसुम), रोरिप्पा (नस्तुरटीम इंडिकुम), अलथेआ (अलथेया लुदविगि), जूट (कोरचोरूस अस्टुअनस), चउसुलिया (कैस्वैदलिया अक्ल्लारिस), इकलिप्टा (इकलिप्टा अलबा), गोबि, लउनेया (लउनिया प्ररोकुम्बेंस), फयला (फयला नोदीफलोरा), चाफ्फ फलोवर (अचयरांथेस असपेरा), अमारांथुस (अमारांथुस टरिकोलोउर), केराटोफयल्लुम (केराटोफयल्लुम देमरसुम), पोटमोगटोन (पोटमोगेटोन पेक्टिनाटुस), उटरिकुलारिया (उटरिकुलारिया इंफलेक्आ), बिलाइटी आक (इपोमेया कोर्निया), पोलीगोनम (पोलीगोनम बारबाटम), सेस्बनिया (सेस्बनिया अकुलेटा) आदि शामिल हैं;

और, शहीद चंद्रशेखर आजाद (नवाबगंज) पक्षी अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैराग्राफ 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पारिस्थितिकी और पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों की श्रेणियों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमे इसके पश्चात् पर्यावरण अधिनियम कहा गया है) की उपधारा (1) तथा धारा 3 की उपधारा (3) एवं उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तर प्रदेश राज्य के उन्नाव जिले में शहीद चंद्रशेखर आजाद (नवाबगंज) पक्षी अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 100 मीटर, तक विस्तारित क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमा.**-(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार उत्तर प्रदेश राज्य में शहीद चंद्रशेखर आजाद (नवाबगंज) पक्षी अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 100 मीटर है अक्षांश 26^{0}36'02.23"उ और 26^{0}37'17.36"उ और देशांतर 80^{0}38'38.09"पू और 80^{0}40'11.03"पू के बीच स्थित है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्र 0.87 वर्ग किलोमीटर है।

(2) शहीद चंद्रशेखर आजाद (नवाबगंज) पक्षी अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण उपाबंध-I के रूप में उपाबद्ध है।

(3) सीमा विवरण और अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के शहीद चंद्रशेखर आजाद (नवाबगंज) पक्षी अभयारण्य का मानचित्र उपाबंध- II क, उपाबंध- IIख और उपाबंध- IIग के रूप में उपाबद्ध है।

(4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन और शहीद चंद्रशेखर आजाद (नवाबगंज) पक्षी अभयारण्य की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची उपाबंध-III के सारणी क और सारणी ख में दी गई है ।

(5) मुख्य बिंदुओं के भू-निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची उपाबंध-IV के रूप में उपाबद्ध है।

2. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.**–(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए, राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ, एक आंचलिक महायोजना बनाएगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से तथा प्रासंगिक केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों, यदि कोई हों, के अनुसार बनायी जाएगी ।

(3) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधी सरोकारों को शामिल करने के लिए इसे राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से बनाया जाएगा, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण;

(ii) वन और वन्यजीव;

(iii) कृषि;

(iv) राजस्व;

(v) पर्यटन;

(vi) नगरपालिका;

(vii) ग्रामीण विकास;

(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

(ix) पंचायती राज;

(x) उत्तर प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड;

(xi) लोक निर्माण विभाग।

(4) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वर्तमान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा आचंलिक महायोजना में सभी अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों में सुधार करके उन्हे अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी-अनुकूल बनाने की व्यवस्था की जाएगी।

indiaCode

(5) आंचलिक महायोजना में वनरहित और अवक्रमित क्षेत्रों के सुधार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं की व्यवस्था की जाएगी जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

(6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों एवं शहरी बस्तियों, वनों की श्रेणियों एवं किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों की सीमा का निर्धारण किया जाएगा तथा सहायक मानचित्र भी दिया जाएगा ।

(7) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में होने वाले विकास का विनियमन किया जाएगा और सारणी में यथासूचीबद्ध प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्रियाकलापों का पालन किया जाएगा। इसमें स्थानीय जनता की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी-अनुकूल विकास का भी सुनिश्चय एवं संवर्धन किया जाएगा।

(8) आंचलिक महायोजना, क्षेत्रीय विकास योजना की सह-कालिक होगी ।

(9) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित किया जाएगा ताकि स्थानीय समुदायों की आजीविका सुरक्षा के लिए, पारिस्थितिकी अनुकूल विकास सुनिश्चित किया जा सके।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.-**राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) **भू-उपयोग.–**(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के लिए चिन्हित उद्यानों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या आवासीय परिसरों या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए प्रयोग या संपरिवर्तन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा यथा लागू केन्द्रीय या राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों के अधीन तथा इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा:

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना और नई सड़कों का संनिर्माण करना;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योग एवं ग्राम उद्योग; पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक सुविधा भण्डार, स्थानीय सुविधाएं तथा ग्रह वास; और

(v) बढ़ावा दिए गए और पैरा-4 में उल्लिखित क्रियाकलाप:

परंतु यह भी कि क्षेत्रीय शहरी नियोजन अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों एवं संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी आता है, का अनुपालन किए बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का प्रयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाली भूमि के अभिलेखों में हुई किसी त्रुटि को, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जाएगा और उक्त त्रुटि को सुधारने की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी :

परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि को सुधारने में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन शामिल नहीं होगा ।

(ख) अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण तथा पर्यावासों और जैव-विविधता की बहाली के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत.**-आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों के आवाह क्षेत्रों की पहचान करके उनके संरक्षण और बहाली की योजना सम्मिलित की जाएगी और राज्य सरकार द्वारा करके इस रीति से बनाए जाएंगे कि उसमें इन क्षेत्रों या इनके आसपास के क्षेत्रों के लिए हानिकारक विकास क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध किया गया हो।

(3) **पर्यटन/पारिस्थितिकी पर्यटन.**–(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन सम्बंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार अनुज्ञात होगा ।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभागों के परामर्श से पर्यटन विभाग द्वारा बनायी जाएगी ।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना की घटक होगी ।

(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जाएगी।

(ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात् :-

(i) वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी होटल या रिसोर्ट का नया सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

तथापि, पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक पूर्व परिभाषित और अभिहित क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार, नए होटलों और रिसोर्ट की स्थापना अनुज्ञात होगी।

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार, केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देने वाले राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी दिशानिर्देशों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर सम्बद्ध विनियामक प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और किसी नए होटल/रिसोर्ट या वाणिज्यिक स्थापनों के संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(4) **प्राकृतिक विरासत.**–पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जीन पूल रिजर्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.**-पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृति-क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, स्थापत्य संबधी, सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

IndiaCode

(6) **ध्वनि प्रदूषण.**-ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसरण में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए विनियमों और उसके अधीन समय-समय पर बनाए गए संशोधित नियमों को कार्यान्वित करेगा।

(7) **वायु प्रदूषण.**-पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार किया जाएगा।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण.**-पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत शामिल किए गए पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण संबंधी साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, इनमें जो भी अधिक कठोर हों, के अनुसार किया जाएगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट.**-ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबन्धन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2016 के अन्तर्गत प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा; अकार्बनिक पदार्थों का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों (ई एस एम) का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जाएगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट.**-जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय–समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के अन्तर्गत प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जाएगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन.**-पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के अन्तर्गत प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन.**-पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के अन्तर्गत प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई–अपशिष्ट.**-पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित तथा समय-समय पर यथासंशोधित ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय परिवहन.**-वाहन-यातायात का संचलन आवास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे तथा आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य

सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किए जाने तक, मानीटरी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके अन्तर्गत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार वाहनों की आवाजाही के अनुपालन की मानीटरी करेगी।

(15) **वाहन जनित प्रदूषण.**-वाहन जनित प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा और स्वच्छतर ईंधन के प्रयोग के प्रयास किए जाएंगे ।

(16) **औद्योगिक इकाइयां.**-(i) सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या उसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी।

(ii) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना अनुज्ञात होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण.**-पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी ।

(ख) जिन ढलानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी ।

4. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची.**-पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, और तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 2011 एवं पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 सहित उसके अधीन बने नियमों और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) सहित अन्य लागू नियमों तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे, अर्थात्:-

सारणी

क्र. सं. (1)	क्रियाकलाप (2)	टिप्पणी (3)
		क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां ।	(क) सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय नहीं होंगी । (ख) खनन प्रचालन, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में प्रचालन होगा ।

2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी: परन्तु यह तब जब कि, इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
3.	प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रस्संकरण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्रावों का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में नई आरा मिलों की स्थापना और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
7.	ईंट भट्टों की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
8.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप, जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे उडाना आदि।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
9.	पॉलिथीन बैग का उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
	ख. विनियमित क्रियाकलाप	
10.	होटलों और रिसोर्टों की वाणिज्यिक स्थापना।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण को छोड़कर संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्ट की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी: परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप करने या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और लागू दिशानिर्देशों के अनुसार अनुज्ञात होगी।
11.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1.0 किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी भी नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी: परंतु, स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 3 के उप-पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने प्रयोग के लिए, अपनी भूमि में

IndiaCode

		भवन उप-विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी: परन्तु यह और कि गैर–प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे । (ख) एक किलोमीटर से आगे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे ।
12.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग तथा अपरिसंकटमय लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, बागबानी या कृषि आधारित उद्योग, जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्रियों से उत्पाद बनाते हैं, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
13.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन भूमि या सरकारी भूमि या राजस्व भूमि या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई की अनुज्ञा नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियमों और उनके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी ।
14.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रह ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
15.	विद्युत और संचार टॉवर लगाने, तार-बिछाने तथा अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा । (भूमिगत केबल बिछाने को बढ़ावा दिया जाएगा)।
16.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे की व्यवस्था।	यह व्यवस्था लागू विधियों, नियमों, विनियमों और मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ की जाएगी।
17.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ बनाना और नई सड़कों का निर्माण करना।	यह व्यवस्था लागू विधियों, नियमों, विनियमों और मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ की जाएगी।
18.	पर्वतीय ढलानों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
19.	रात्रि में सड़क यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा ।
20.	स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी पद्धतियों के साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।
21.	फर्मों, कारपोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना ।	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) के अधीन अनुज्ञात होगा ।

22.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्स्राव का निस्सारण ।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव के निस्सारण से बचा जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुन:उपयोग के प्रयास किए जाएंगे अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल बहिर्स्राव का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
23.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक प्रयोग एवं निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
24.	कृषि या अन्य उपयोग के लिए खुले कुएं, बोर कुएं आदि का निर्माण ।	समुचित प्राधिकारी द्वारा विनियमित किया जाएगा तथा क्रियाकलाप की सख्त मानीटरी की जाएगी।
25.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
26.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
27.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
28.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग का प्रयोग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
	ग. संवर्धित क्रियाकलाप	
29.	वर्षा जल संचय ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
30.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
31.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
32.	ग्रामीण कारीगरी सहित कुटीर उद्योग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
33.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग ।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
35.	बागवानी और वनौषधियों का रोपण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	पारिस्थितिकी अनुकूल यातायात का प्रयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	अवक्रमित भूमि/वनों/पर्यावासों की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
39.	पर्यावरण के प्रति जागररूकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

IndiaCode

5. पर्यावरण संवेदी जोन अधिसूचना की मानीटरी के लिए मानीटरी समिति—केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पारिस्थितिकी संवेदी जोन की प्रभावी मानीटरी के लिए निम्नलिखित को शामिल करके एक मानीटरी समिति गठित करती है:-

क्र. सं.	मानीटरी समिति का गठन	पद
1.	जिला मजिस्ट्रेट, उन्नाव	अध्यक्ष, पदेन
2.	पुलिस अधीक्षक या ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, उन्नाव	सदस्य;
3.	कार्यपालक अभियंता, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), उन्नाव	सदस्य;
4.	कार्यपालक अभियंता सिंचाई विभाग, उन्नाव	सदस्य;
5.	पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि	सदस्य;
6.	राज्य के प्रतिष्ठित संस्थान या विश्वविद्यालय से पारिस्थितिकी में एक विशेषज्ञ	सदस्य;
7.	जिला कृषि अधिकारी, उन्नाव	सदस्य;
8.	वन्यजीव वार्डन, संकटापन्न प्रजातियां, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	सदस्य;
9.	प्रादेशिक अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिला उन्नाव	सदस्य;
10.	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, उन्नाव	सदस्य-सचिव।

IndiaCode

6. निर्देश-निबंधन.- (1) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटरी करेगी।

(2) मानीटरी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति का पुनर्गठन किए जाने तक होगा और इसके बाद मानीटरी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(3) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित हैं, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके पैरा 4 के अधीन सारणी के स्तम्भ (3) में यथाविनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के, मानीटरी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथाविनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकारियो को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त या संबंधित उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण अधिनियम, की धारा 19 के अधीन परिवाद दायर करने के लिए सक्षम होगा।

(6) मानीटरी समिति संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित पक्षों को, प्रत्येक मामले मे आवश्यकता के अनुसार, अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को, **उपाबंध V** में दिए गए प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी ।

8. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यधीन होंगे ।

[फा.सं. 25/166/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध- I

उत्तर प्रदेश के शहीद चंद्रशेखर आजाद (नवाबगंज) पक्षी अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का वर्णन

उत्तर-

1. राष्ट्रीय राजमार्ग
2. भवानीपुर ग्राम
3. जंगपुर ग्राम
4. हींदुखेदा ग्राम

दक्षिण-

1. केवना ग्राम- कृषि भूमि
2. रामपुर ग्राम- कृषि भूमि
3. अदर ग्राम- कृषि भूमि
4. कंधाइखेडा ग्राम- कृषि भूमि

पूर्व-

1. कस्बा नवाबगंज
2. पचीयन ग्राम
3. रावांहर ग्राम
4. झखारी ग्राम
5. बरदाई हटा ग्राम

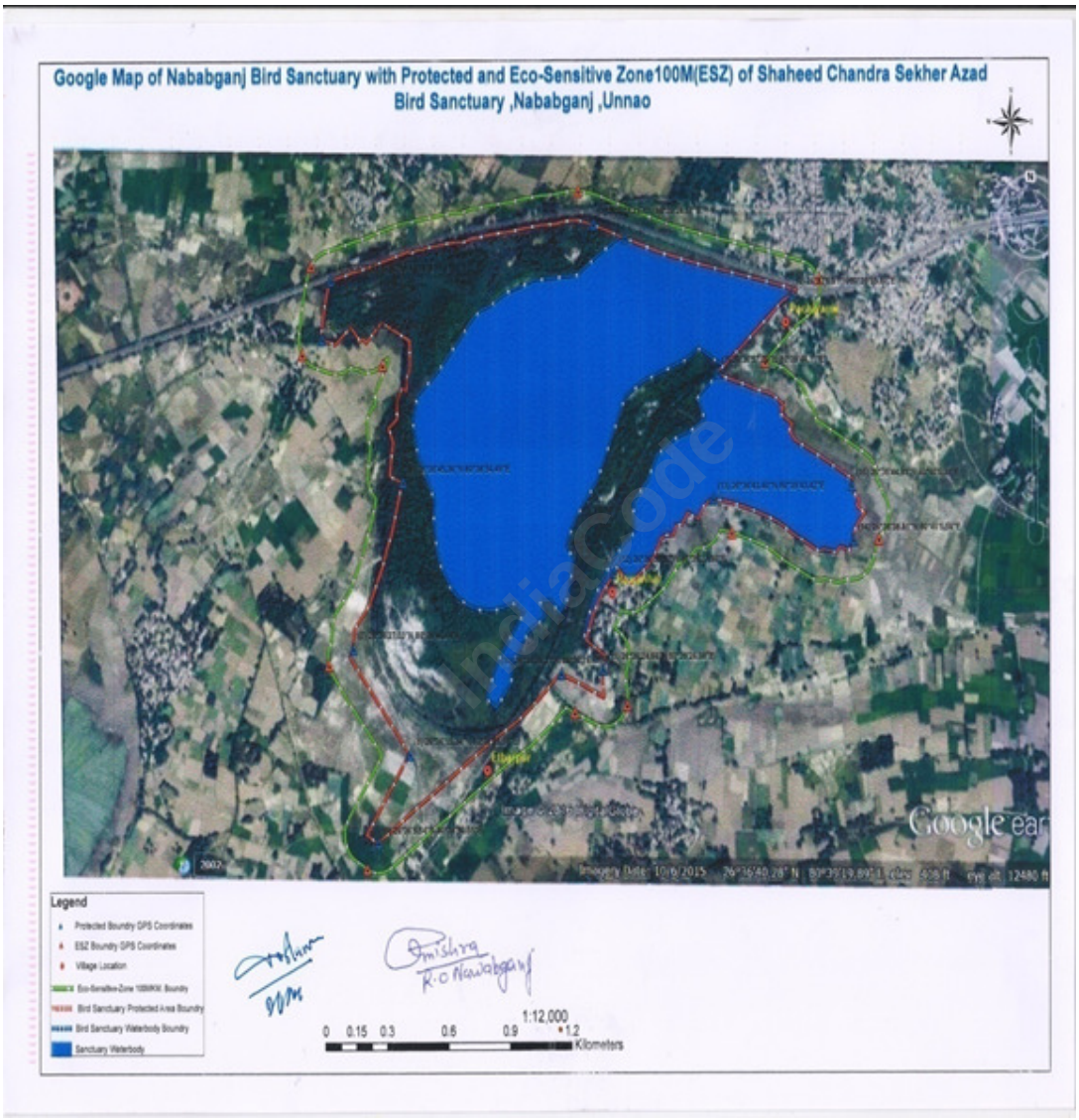
पश्चिम-

1. खवाजगिपुर ग्राम- कृषि भूमि
2. मिसरीगंज ग्राम- कृषि भूमि
3. नवाबगंज रेंज, कार्यालय और वन भूमि

IndiaCode

उपाबंध- IIक

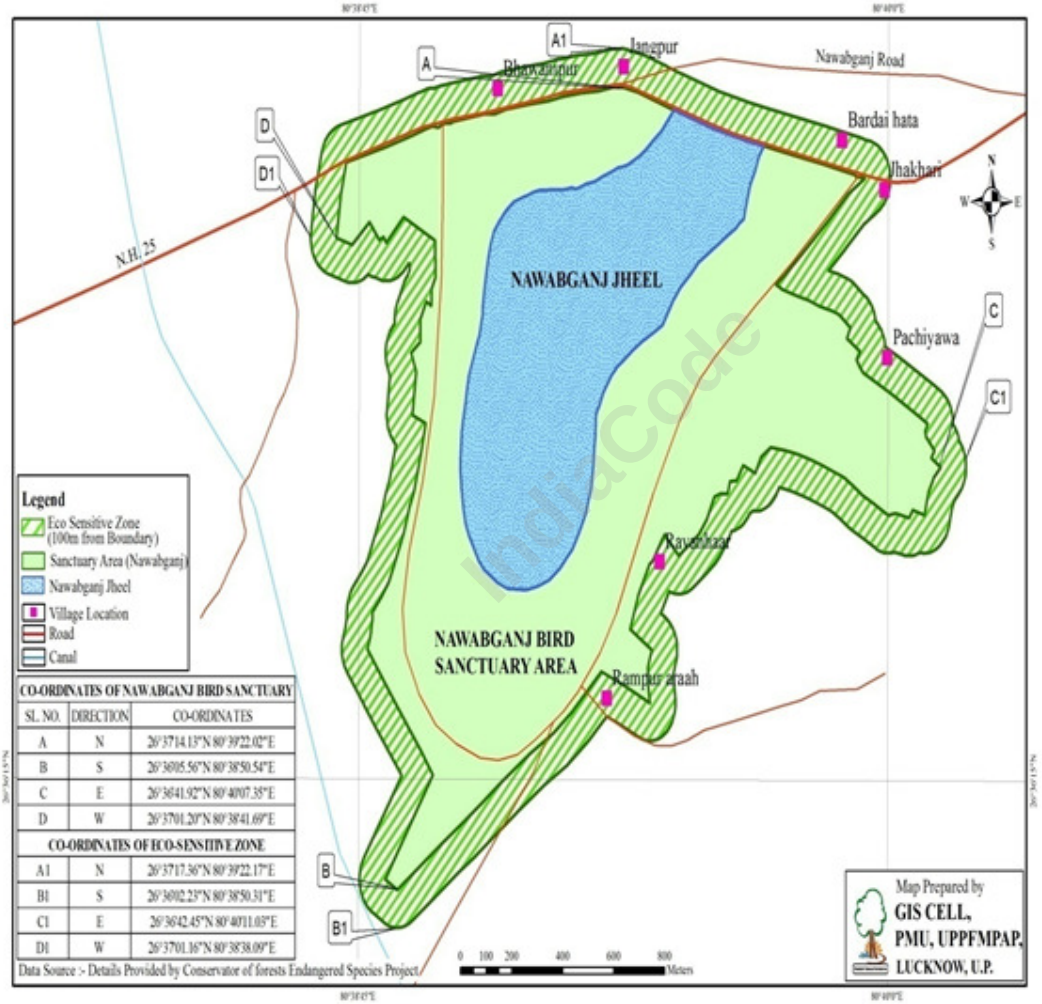
प्रमुख अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ शहीद चंद्रशेखर आजाद (नवाबगंज) पक्षी अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन का गूगल मानचित्र



उपाबंध- IIख

प्रमुख अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ शहीद चंद्रशेखर आजाद (नवाबगंज) पक्षी अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र

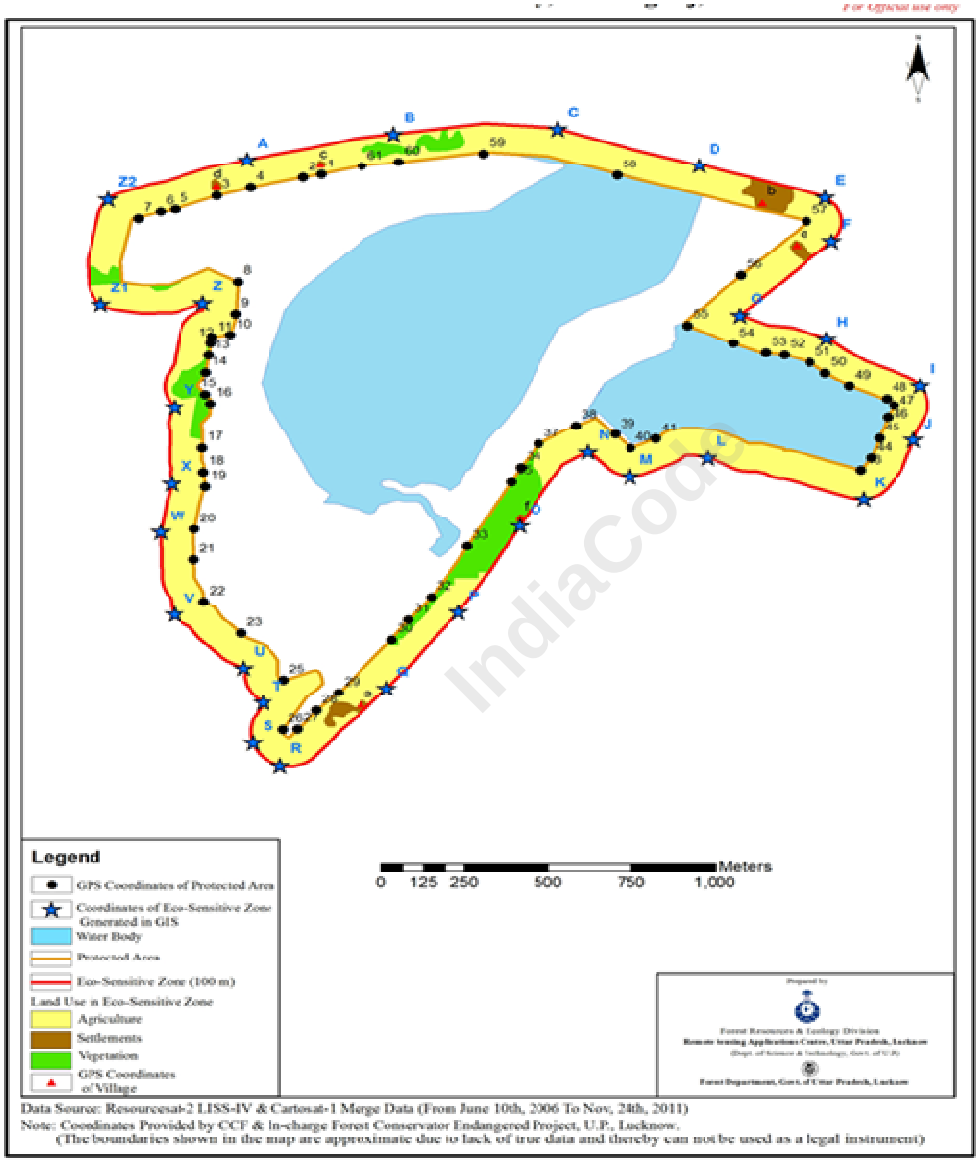
MAP SHOWING SALIENT FEATURES WITHIN 100m (ECO SENSITIVE ZONE) FROM BOUNDARY OF NAWABGANJ BIRD SANCTUARY



CO-ORDINATES OF NAWABGANJ BIRD SANCTUARY		
SL. NO.	DIRECTION	CO-ORDINATES
A	N	26°37'14.13"N 80°39'22.02"E
B	S	26°36'05.56"N 80°38'50.54"E
C	E	26°36'41.92"N 80°40'07.35"E
D	W	26°37'01.20"N 80°38'41.69"E
CO-ORDINATES OF ECO-SENSITIVE ZONE		
A1	N	26°37'17.36"N 80°39'22.17"E
B1	S	26°36'02.23"N 80°38'50.31"E
C1	E	26°36'42.45"N 80°40'11.03"E
D1	W	26°37'01.16"N 80°38'38.09"E

उपाबंध- IIग

प्रमुख अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ शहीद चंद्रशेखर आजाद (नवाबगंज) पक्षी अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन का भूमि उपयोग मानचित्र



उपाबंध-III

सारणी क : शहीद चंद्रशेखर आजाद (नवाबगंज) पक्षी अभयारण्य के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

क्र. सं.	बिंदु	अक्षांश	देशांतर
1	1	26°37’12.2"उ	80°39'3.9"पू
2	2	26°37’11.86"उ	80°39'1.94"पू
3	3	26°37’9.79"उ	80°38'52.56"पू
4	4	26°37’10.7"उ	80°38'56.2"पू

5	5	26°37’8.2"उ	80°38'48"पू
6	6	26°37’7.91"उ	80°38'46.43"पू
7	7	26°37’7.1"उ	80°38'41.1"पू
8	8	26°36’59.76"उ	80°38'54.87"पू
9	9	26°36’56.09"उ	80°38'54.64"पू
10	10	26°36’53.69"उ	80°38'54.05"पू
11	11	26°36’53.4"उ	80°38'52.1"पू
12	12	26°36’52.7"उ	80°38'52"पू
13	13	26°36’51.27"उ	80°38'51.75"पू
14	14	26°36’49.32"उ	80°38'51.48"पू
15	15	26°36’46.8"उ	80°38'51.4"पू
16	16	26°36’45.72"उ	80°38'51.97"पू
17	17	26°36’40.59"उ	80°38'51.09"पू
18	18	26°36’37.8"उ	80°38'51.2"पू
19	19	26°36’36.16"उ	80°38'51.44"पू
20	20	26°36’31.2"उ	80°38'50.28"पू
21	21	26°36’27.71"उ	80°38'50.24"पू
22	22	26°36’22.85"उ	80°38'51.33"पू
23	23	26°36’19.19"उ	80°38'55.29"पू
24	24	26°36’13.83"उ	80°39'0.02"पू
25	25	26°36’8.07"उ	80°39'0"पू
26	26	26°36’8.15"उ	80°39'1.56"पू
27	27	26°36’10.3"उ	80°39'3.5"पू
28	28	26°36’12.4"उ	80°39'5.9"पू
29	29	26°36’18.5"उ	80°39'11.7"पू
30	30	26°36’20.81"उ	80°39'13.48"पू
31	31	26°36’23.48"उ	80°39'15.89"पू

IndiaCode

32	32	26°36’29.32"उ	80°39'19.87"पू
33	33	26°36’38.4"उ	80°39'25.57"पू
34	34	26°36’36.81"उ	80°39'24.53"पू
35	35	26°36’41.15"उ	80°39'27.53"पू
36	36	26°36’43.3"उ	80°39'31.55"पू
37	37	26°36’42.31"उ	80°39'35.77"पू
38	38	26°36’40.7"उ	80°39'37.5"पू
39	39	26°36’41.79"उ	80°39'40.27"पू
40	40	26°36’38.18"उ	80°40'2.43"पू
41	41	26°36’39.6"उ	80°40'3.57"पू
42	42	26°36’41.88"उ	80°40'4.41"पू
43	43	26°36’44.37"उ	80°40'5.34"पू
44	44	26°36’45.74"उ	80°40'6.04"पू
45	45	26°36’46.5"उ	80°40'5.2"पू
46	46	26°36’47.9"उ	80°40'1.2"पू
47	47	26°36’49.4"उ	80°39'58.6"पू
48	48	26°36’50.6"उ	80°39'56.9"पू
49	49	26°36’51.5"उ	80°39'54.1"पू
50	50	26°36’51.71"उ	80°39'52.1"पू
51	51	26°36’52.81"उ	80°39'48.66"पू
52	52	26°36’54.92"उ	80°39'43.59"पू
53	53	26°37’0.66"उ	80°39'49.43"पू
54	54	26°37’7"उ	80°39'56.5"पू
55	55	26°37’12.2"उ	80°39'35.9"पू
56	56	26°37’14.7"उ	80°39'21.5"पू
57	57	26°37’13.7"उ	80°39'12.3"पू
58	58	26°37’13.2"उ	80°39'8.3"पू

IndiaCode

सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रमुख स्थानों के भू-निर्देशांक

स्थानीय	अक्षांश	देशांतर
ए	26°37' 13.947" उ	80°38' 55.778" पू
बी	26°37' 16.918" उ	80°39' 11.739" पू
सी	26°37' 17.551" उ	80°39' 29.524" पू
डी	26°37' 13.407" उ	80°39' 44.797" पू
ई	26°37' 9.739" उ	80°39' 58.506" पू
एफ	26°37' 4.725" उ	80°39' 59.268" पू
जी	26°36' 56.073" उ	80°39' 49.364" पू
एच	26°36' 53.441" उ	80°39' 58.724" पू
आई	26°36' 47.989" उ	80°40' 8.881" पू
जे	26°36' 41.747" उ	80°40' 8.181" पू
के	26°36' 34.950" उ	80°40' 2.801" पू
एल	26°36' 39.618" उ	80°39' 45.792" पू
एम	26°36' 37.453" उ	80°39' 37.448" पू
एन	26°36' 40.280" उ	80°39' 32.899" पू
ओ	26°36' 31.736" उ	80°39' 25.507" पू
पी	26°36' 21.749" उ	80°39' 18.952" पू
क्यू	26°36' 12.965" उ	80°39' 11.153" पू
आर	26°36' 4.040" उ	80°38' 59.664" पू
एस	26°36' 6.624" उ	80°38' 56.660" पू
टी	26°36' 11.245" उ	80°38' 57.711" पू
यू	26°36' 15.231" उ	80°38' 55.628" पू
वी	26°36' 21.418" उ	80°38' 48.090" पू
डब्ल्यू	26°36' 30.881" उ	80°38' 46.564" पू
एक्स	26°36' 36.589" उ	80°38' 47.743" पू
वाई	26°36' 45.375" उ	80°38' 48.022" पू
जेड	26°36' 57.406" उ	80°38' 51.102" पू

IndiaCode

जेड1	26°36' 57.194" उ	80°38' 40.052" पू
जेड2	26°37' 9.373" उ	80°38' 40.833" पू

उपाबंध-IV

भू-निर्देशांकों के साथ शहीद चंद्रशेखर आजाद (नवाबगंज) पक्षी अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

क्र.सं	ग्राम	अक्षांश	देशांतर
1	रावणहार	उ 26°36'33.59"	पू 80°39'27.70"
2	रामपुर आराह	उ 26°36'21.92"	पू 80°39'20.24"
3	पचीयावा	उ 26°36'51.09"	पू 80°39'59.96"
4	झाखारी	उ 26°37'05.40"	पू 80°39'59.50"
5	बरदाइ हाटा	उ 26°37'09.63"	पू 80°39'53.51"
6	भावानीपुर	उ 26°37'13.91"	पू 80°39'04.80"
7	जंगपुर	उ 26°37'15.85"	पू 80°39'22.51"

IndiaCode

उपाबंध-V

की गई कार्रवाई सम्बन्धी रिपोर्ट का प्रपत्र:

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत : (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत को एक पृथक उपाबंध में प्रस्तुत करें)।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति ।
4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार: (विवरण उपाबंध के रुप में संलग्न करें)।
5. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार : (विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें) ।
6. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार : (विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें) ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार :
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला:

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th August, 2019

S.O. 3153(E).—WHEREAS, a draft re-notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 4777(E), dated the 10th September, 2018, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on the 11th September, 2018;

AND WHEREAS, no objections and suggestions were received from persons and stakeholders in response to the draft notification;

AND WHEREAS, Shaheed Chandra Shekhar Azad (Nawabganj) Bird Sanctuary located in district Unnao of Uttar Pradesh is covering an area of 2.246 square kilometers;

AND WHEREAS, the Sanctuary is known for its open habitat of large number and variety of migratory and resident birds. Apart from birds, the area is also home to a variety of trees, shrubs, hydrophytes. The faunal species that have a habitat here include molluscus, arthropods, annelids, amphibians, reptiles and several species of mammals. Wild boar (Susscrofa cristatust), ground shrew (Suncus murnius), jungle cat (Felis chaus), fishing cat (Prionailurus viverrinus), fox (Vulpes bengalensis), common yellow bat (Scotophilus heathii), noctule bat (Nyctalus noctula), three striped palm squirrel (Funambulus palmarum), blue bull (Boselaphus tragocamelus), cyclop (Cyclops sp.), cypris (Curpsi sp.), praying-mantis (Mantis sp.), gnat (Simulium equinum), water scorpion (Panorpa cummunis), dung beetle (Meliocoxpris sp.), large carpenter (Megachile centuncularis), veined jay (Graphium bathycles chiron), classy tiger (Parantica aglea melanoides), panther (Neurosioma doubledyi doubledayi), slug (Lomax sp.), yellow jegebel (Delias agostina agostina), Tiger brown (Orinomadamaris), Indian shag (Phalacrocorax fuscicollis), purple heron (Ardea purpurea), little bittern (Ixobrychus minutus), black ibis (Plegadis falcinellus), spotted billed duck (Anas poecilorhyncha), eurasiaon wigeon (Abas penelope), crested goshawk (Accipiter trivirgatus), black francolin (Francolinus francolinus), wood snipe (Gallinago nemoricola), river tern (Sterna aurantia), kentish plover (Charadrius alexandrinus), greater coucal (Centropus sinensis), Asian palm swift (Cypsiurus balasiensis), green bee-eater (Merops orientalis), Hoopoe (Upupa epops), Long tailed shrike (Lanius schach), Bar winged flycatcher shrike (Hemipus picatus), green munia (Amandava Formosa), olive backed pipit (Anthus rufulis), striated babbler (Turdoides earlei), thick billed flower pecker (Dicaeum agile), baya weaver (Ploceus phillippinus) are the faunal species found in the area;

AND WHEREAS, Shaheed Chandra Shekhar Azad (Nawabganj) Bird Sanctuary represents diversity of floral species including babool (Acacia nilotica), Australian acacia (Acacia auriculiformis), Indian laburum (Cassia fistula), yellow cassia (Cassia siamea), flam boyante (Delonix regia), margosa (Azadirecta indica), banyan Tree (Ficus bengalensis), red cotton tree (Mombax ceiba), arjun (Terminalia arjuna), willow (Salix tetrasperma), tal makhana (Hygrophila auriculatar), kantkari (Solanum xanthocarpum), basella of Indian spinach (Basella rubra), cryptostegia (Cryptostegia grandiflora), neptunia (Mymose pudica), Potentilla silver weed (Potentilla supina), sama (Echinochloa colonum), eragrostis (Eragrostis ciliaris), gandhar (Vetiveria zizanioides), dabh (Desmoslachya bipinnata), dhamadl grass (Cenchrus ciliaris), gandhel (Iseilema laxum), oryza (Oryza rufipogon), wild rice (Zizania aquatica), shyama (Panicum paludosum), rorippa (Nasturtium indicum), althea (Althea ludwigii), jute (Corchorus aestuans), causulia (Caesweedlia axillaris), eclipta (Eclipta alba), gobi, launaea (Launaea procumbens), phyla (Phyla nodiflora), chaff flower (Achyranthes aspera), amaranthus (Amaranthus tricolour), ceratophyllum (Ceratophyllum demersum), potamogeton (Potamogeton pectinatus), utricularia (Utricularia inflexa), bilaiti Aak (Ipomea cornea), polygonum (Polygonum barbatum), sesbania (Sesbania aculeata), etc;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of Shaheed Chandra Shekhar Azad (Nawabganj) Bird Sanctuary which are specified in paragraph 1 as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent of 100 metres uniform around the boundary of Shaheed Chandra Shekhar Azad (Nawabganj) Bird Sanctuary, in Unnao district in the State of Uttar Pradesh as Shaheed Chander Shekhar Azad (Nawabganj) Bird Sanctuary Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely: -

1. **Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.–**(1) The Eco-sensitive Zone shall be to an extent of 100 metres uniform around the boundary of Shaheed Chandra Shekhar Azad (Nawabganj) Bird Sanctuary situated between 26036'02.23" N and 26037'17.36" N Latitude and between 80038'38.09" E and 80040'11.03"E Longitude in the State Uttar Pradesh and the area of the Eco-sensitive Zone is 0.87 square kilometres.

(2) The boundary description of Shaheed Chandra Shekhar Azad (Nawabganj) Bird Sanctuary and its Eco-sensitive Zone is appended in **Annexure-I.**

(3) The maps of the Shaheed Chandra Shekhar Azad (Nawabganj) Bird Sanctuary demarcating Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes are appended as **Annexure-IIA, Annexure-IIB and Annexure-IIC.**

(4) Lists of geo-coordinates of the boundary of Shaheed Chandra Shekhar Azad (Nawabganj) Bird Sanctuary and Eco-sensitive Zone are given in Table **A** and Table **B** of **Annexure-III**.

(5) The list of villages falling in the Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as **Annexure-IV**.

2. **Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.-**(1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority of State.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-

(i) Environment;

(ii) Forest and Wildlife;

(iii) Agriculture;

(iv) Revenue;

(v) Tourism;

(vi) Municipal;

(vii) Rural Development;

(viii) Irrigation and Flood Control;

(ix) Panchayati Raj;

(x) Uttar Pradesh State Pollution Control Board; and

(xi) Public Works Department.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

IndiaCode

3. **Measures to be taken by the State Government.-**The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Land use.–**(a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purposes other than that specified at part (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or State Government as applicable and vide provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as:-

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) small scale industries not causing pollution;

(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

(v) promoted activities given under paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies.-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) Tourism or Eco-tourism.-(a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone.

(e) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) New construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the Wildlife Sanctuary or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development.

(iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.

(4) Natural heritage.-All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.-Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution.-Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.

(7) Air pollution.-Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be compiled in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) Discharge of effluents.-Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

(9) Solid wastes.- Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(b) safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-sensitive Zone.

(10) Bio-Medical Waste.–Bio Medical Waste Management shall be as under:-

(a) the Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management, Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R 343 (E), dated the 28th March, 2016.

(b) safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.

(11) Plastic waste management.-The plastic waste management in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

(12) Construction and demolition waste management.-The construction and demolition waste management in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) E-waste.-The e-waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic.–The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular pollution.-Prevention and control of vehicular pollution shall be incompliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.

(16) Industrial units.–(i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-Sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of hill slopes.-The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) Construction shall not be permitted on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion.

4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.-All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made thereunder including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
	A. Prohibited Activities	
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted: Provided that non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification and in addition the non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydro-electric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
6.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
8.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the National Park Area by aircraft, hot-air balloons.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
9.	Use of polythene bags.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.

B. Regulated Activities		
10.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-Sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
11.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or upto extent of the Eco-Sensitive Zone, whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents. Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
12.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-Sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
13.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
14.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest produce.	Regulated as per the applicable laws.
15.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws (underground cabling may be promoted).
16.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulations and available guidelines.
17.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
18.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.

19.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
20.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
21.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated (except otherwise provided) as per the applicable laws except for meeting local needs.
22.	Discharge of treated waste water or effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water or effluent shall be regulated as per the applicable laws.
23.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated as per the applicable laws.
24.	Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
25.	Solid waste management.	Regulated as per the applicable laws.
26.	Introduction of exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
28.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
C. Promoted Activities		
29.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
30.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
31.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
32.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
33.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light etc. shall be actively promoted.
34.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
35.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.
36.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
37.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
38.	Restoration of degraded land/ forests/ habitat.	Shall be actively promoted.
39.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee for Monitoring the Eco-sensitive Zone Notification.- For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely:-

S N	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
(1)	District Magistrate, Unnao	Chairman, ex officio;
(2)	Superintendent of Police or Senior Superintendent of Police, Unnao	Member;
(3)	Executive Engineer of Public Works Department (PWD), Unnao	Member;

(4)	Executive Engineer of Irrigation Department, Unnao	Member;
(5)	A representative of non-governmental organization working in the field of wildlife conservation to be nominated by the State Government	Member;
(6)	One expert in Ecology from reputed institution or university of the State	Member;
(7)	District Agriculture Officer, Unnao	Member;
(8)	Wildlife Warden, Endangered Species, Uttar Pradesh, Lucknow	Member;
(9)	Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, District Unnao	Member;
(10)	Divisional Director, Social Forestry Division, Unnao	Member-Secretary.

6. Terms of reference.–(1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee shall be constituted by the State Government.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma appended at Annexure V.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/166/2015-ESZ-RE]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

ANNEXURE- I

BOUNDARY DESCRIPTION OF SHAHEED CHANDRA SHEKHAR AZAD (NAWABGANJ) BIRD SANCTUARY AND ITS ECO-SENSITIVE ZONE IN UTTAR PRADESH

North -

1. National Highway
2. Bhawanipur village
3. Jangpur village
4. Hindukheda village

South -

1. Village Kewana- Agricultural land
2. Village Rampur- Agricultural land
3. Village Adar- Agricultural land
4. Village Kandhaikheda- Agricultural land

East -

1. Kasba Nawabganj
2. Village Pachiyon
3. Village Ravanhar
4. Village Jhakhari
5. Village Bardai Hata

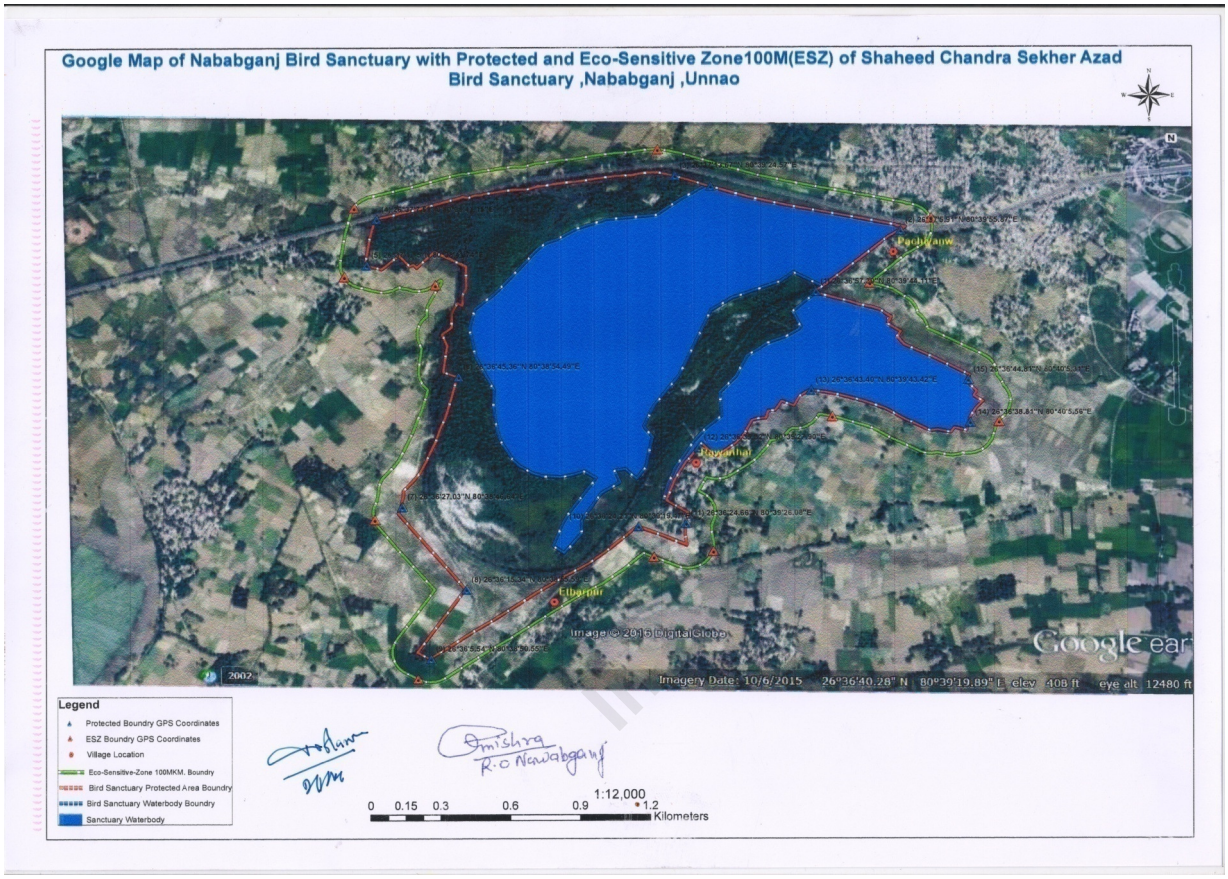
West -

1. Village Khwajgipur- Agricultural land
2. Village Mishriganj- Agricultural land
3. Nawabganj range, office and forest land

IndiaCode

ANNEXURE- IIA

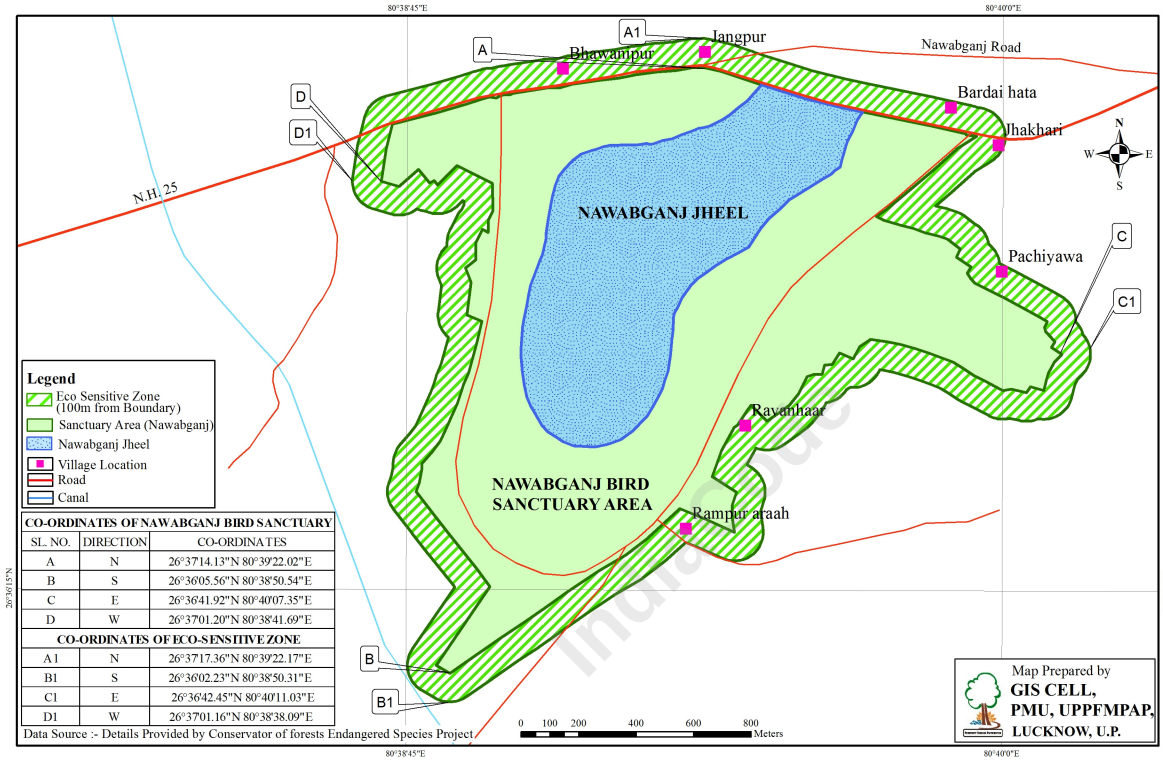
GOOGLE MAP OF SHAHEED CHANDRA SHEKHAR AZAD (NAWABGANJ) BIRD SANCTUARY AND ITS ECO-SENSITIVE ZONE ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



ANNEXURE- IIB

MAP OF SHAHEED CHANDRA SHEKHAR AZAD (NAWABGANJ) BIRD SANCTUARY AND ITS ECO-SENSITIVE ZONE ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS

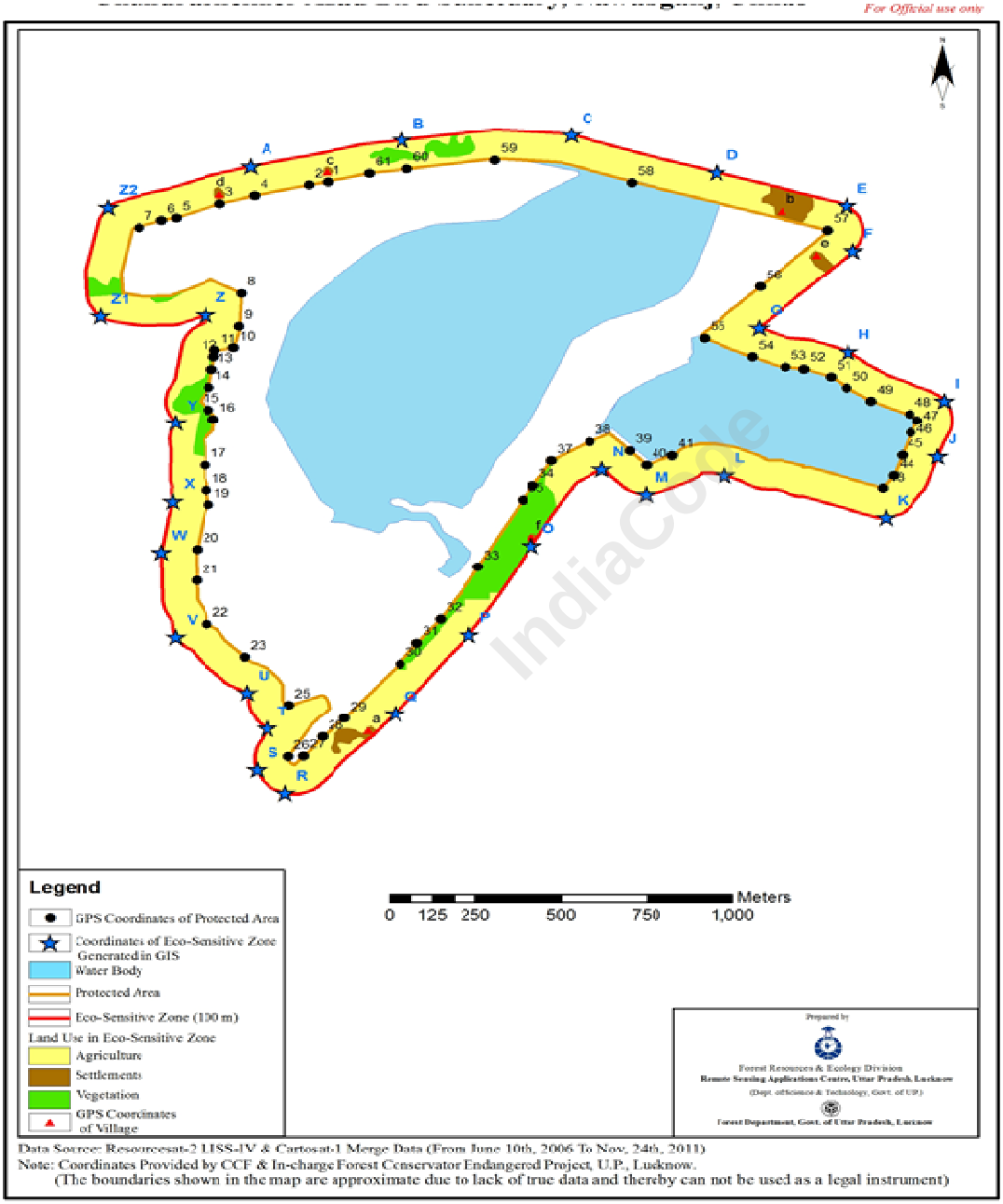
MAP SHOWING SALIENT FEATURES WITHIN 100m (ECO SENSITIVE ZONE) FROM BOUNDARY OF NAWABGANJ BIRD SANCTUARY



CO-ORDINATES OF NAWABGANJ BIRD SANCTUARY		
SL. NO.	DIRECTION	CO-ORDINATES
A	N	26°37'14.13"N 80°39'22.02"E
B	S	26°36'05.56"N 80°38'50.54"E
C	E	26°36'41.92"N 80°40'07.35"E
D	W	26°37'01.20"N 80°38'41.69"E
CO-ORDINATES OF ECO-SENSITIVE ZONE		
A1	N	26°37'17.36"N 80°39'22.17"E
B1	S	26°36'02.23"N 80°38'50.31"E
C1	E	26°36'42.45"N 80°40'11.03"E
D1	W	26°37'01.16"N 80°38'38.09"E

ANNEXURE-IIC

MAP SHOWING LANDUES PATTERN OF ECO-SENSITIVE ZONE OF SHAHEED CHANDRA SHEKHAR AZAR (NAWABGANJ) BIRD SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



ANNEXURE-III

TABLE A: GEO- COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF SHAHEED CHANDRA SHEKHAR AZAD (NAWABGANJ) BIRD SANCTUARY

S. No.	Point	Latitude	Longitude
1	1	26°37’12.2"N	80°39'3.9"E
2	2	26°37’11.86"N	80°39'1.94"E

3	3	26°37’9.79"N	80°38'52.56"E
4	4	26°37’10.7"N	80°38'56.2"E
5	5	26°37’8.2"N	80°38'48"E
6	6	26°37’7.91"N	80°38'46.43"E
7	7	26°37’7.1"N	80°38'41.1"E
8	8	26°36’59.76"N	80°38'54.87"E
9	9	26°36’56.09"N	80°38'54.64"E
10	10	26°36’53.69"N	80°38'54.05"E
11	11	26°36’53.4"N	80°38'52.1"E
12	12	26°36’52.7"N	80°38'52"E
13	13	26°36’51.27"N	80°38'51.75"E
14	14	26°36’49.32"N	80°38'51.48"E
15	15	26°36’46.8"N	80°38'51.4"E
16	16	26°36’45.72"N	80°38'51.97"E
17	17	26°36’40.59"N	80°38'51.09"E
18	18	26°36’37.8"N	80°38'51.2"E
19	19	26°36’36.16"N	80°38'51.44"E
20	20	26°36’31.2"N	80°38'50.28"E
21	21	26°36’27.71"N	80°38'50.24"E
22	22	26°36’22.85"N	80°38'51.33"E
23	23	26°36’19.19"N	80°38'55.29"E
24	24	26°36’13.83"N	80°39'0.02"E
25	25	26°36’8.07"N	80°39'0"E
26	26	26°36’8.15"N	80°39'1.56"E
27	27	26°36’10.3"N	80°39'3.5"E
28	28	26°36’12.4"N	80°39'5.9"E
29	29	26°36’18.5"N	80°39'11.7"E
30	30	26°36’20.81"N	80°39'13.48"E
31	31	26°36’23.48"N	80°39'15.89"E
32	32	26°36’29.32"N	80°39'19.87"E
33	33	26°36’38.4"N	80°39'25.57"E
34	34	26°36’36.81"N	80°39'24.53"E
35	35	26°36’41.15"N	80°39'27.53"E
36	36	26°36’43.3"N	80°39'31.55"E
37	37	26°36’42.31"N	80°39'35.77"E
38	38	26°36’40.7"N	80°39'37.5"E
39	39	26°36’41.79"N	80°39'40.27"E
40	40	26°36’38.18"N	80°40'2.43"E
41	41	26°36’39.6"N	80°40'3.57"E

IndiaCode

42	42	26°36’41.88"N	80°40'4.41"E
43	43	26°36’44.37"N	80°40'5.34"E
44	44	26°36’45.74"N	80°40'6.04"E
45	45	26°36’46.5"N	80°40'5.2"E
46	46	26°36’47.9"N	80°40'1.2"E
47	47	26°36’49.4"N	80°39'58.6"E
48	48	26°36’50.6"N	80°39'56.9"E
49	49	26°36’51.5"N	80°39'54.1"E
50	50	26°36’51.71"N	80°39'52.1"E
51	51	26°36’52.81"N	80°39'48.66"E
52	52	26°36’54.92"N	80°39'43.59"E
53	53	26°37’0.66"N	80°39'49.43"E
54	54	26°37’7"N	80°39'56.5"E
55	55	26°37’12.2"N	80°39'35.9"E
56	56	26°37’14.7"N	80°39'21.5"E
57	57	26°37’13.7"N	80°39'12.3"E
58	58	26°37’13.2"N	80°39'8.3"E

TABLE B: GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF ECO-SENSITIVE ZONE

LOCATIONS	LATITUDE	LONGITUDE
A	26°37' 13.947" N	80°38' 55.778" E
B	26°37' 16.918" N	80°39' 11.739" E
C	26°37' 17.551" N	80°39' 29.524" E
D	26°37' 13.407" N	80°39' 44.797" E
E	26°37' 9.739" N	80°39' 58.506" E
F	26°37' 4.725" N	80°39' 59.268" E
G	26°36' 56.073" N	80°39' 49.364" E
H	26°36' 53.441" N	80°39' 58.724" E
I	26°36' 47.989" N	80°40' 8.881" E
J	26°36' 41.747" N	80°40' 8.181" E
K	26°36' 34.950" N	80°40' 2.801" E
L	26°36' 39.618" N	80°39' 45.792" E
M	26°36' 37.453" N	80°39' 37.448" E
N	26°36' 40.280" N	80°39' 32.899" E
O	26°36' 31.736" N	80°39' 25.507" E
P	26°36' 21.749" N	80°39' 18.952" E

IndiaCode

Q	26°36' 12.965" N	80°39' 11.153" E
R	26°36' 4.040" N	80°38' 59.664" E
S	26°36' 6.624" N	80°38' 56.660" E
T	26°36' 11.245" N	80°38' 57.711" E
U	26°36' 15.231" N	80°38' 55.628" E
V	26°36' 21.418" N	80°38' 48.090" E
W	26°36' 30.881" N	80°38' 46.564" E
X	26°36' 36.589" N	80°38' 47.743" E
Y	26°36' 45.375" N	80°38' 48.022" E
Z	26°36' 57.406" N	80°38' 51.102" E
Z1	26°36' 57.194" N	80°38' 40.052" E
Z2	26°37' 9.373" N	80°38' 40.833" E

ANNEXURE-IV

LIST OF VILLAGES COMING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF SHAHEED CHANDRA SHEKHAR AZAD (NAWABGANJ) BIRD SANCTUARY ALONG WITH GEO-COORDINATES

S. No.	Village	Latitude	Longitude
1	Ravanhaar	N 26°36'33.59"	E 80°39'27.70"
2	Rampur araarh	N 26°36'21.92"	E 80°39'20.24"
3	Pachiyawa	N 26°36'51.09"	E 80°39'59.96"
4	Jhakhari	N 26°37'05.40"	E 80°39'59.50"
5	Bardai hata	N 26°37'09.63"	E 80°39'53.51"
6	Bhawanipur	N 26°37'13.91"	E 80°39'04.80"
7	Jangpur	N 26°37'15.85"	E 80°39'22.51"

ANNEXURE –V

Performa of Action Taken Report:

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-Sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.09.03 14:41:53 +05'30'